भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †195
उत्तर देने की तारीख 29 नवंबर, 2021 (सोमवार)
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों को निधि आबंटन

†195. श्री दिलीप शइकीया:
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों को वर्ष 2004 से 2014 की अवधि के दौरान और वर्ष 2014 के बाद से अब तक कितनी निधि आबंटित की गई है;
(ख) क्या इन राज्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में इस आबंटित निधि का उपयोग किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवंटित निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के प्रवाह में पर्याप्त बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के लिए और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं और अवसंरचना में बैकलॉग और अंतराल को भरने के लिए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, जब तक उन्हें विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो, केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए अलग से निर्धारित करते हैं। बजट दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-छूट प्राप्त केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा वास्तविक व्यय 2,65,766.67 करोड़ रुपये था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के तहत 2014-15 से 2021-22 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

तालिका 1: 10% जीबीएस के तहत बीई, आरई और वास्तविक व्यय
(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आरई के % में वास्तविक व्यय
2014-15	36,107.56	27,359.17	24,819.18	90.72
2015-16	29,087.93	29,669.22	28,673.73	96.64
2016-17	29,124.79	32,180.08	29,367.9	91.26
2017-18	43,244.64	40,971.69	39,753.44	97.03
2018-19	47,994.88	47,087.95	46,054.80	97.81
2019-20	59,369.90	53,374.19	48,533.80	90.93
2020-21	60,112.11	51,270.90	48,563.82	94.72
2021-22	68,020.24	-	25,737.07*	37.84
कुल**	**3,05,041.81**	**2,81,913.20**	**2,65,766.67**	-

स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण 11/23, विभिन्न वर्ष।
नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय की संवीक्षा के अधीन हैं।
* 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों में से 53 द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दिनांक 30.9.2021 तक।
** 2020-21 तक।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वास्तविक व्यय और बीई तथा आरई चरण में उपलब्ध निधियों के बीच अंतर है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों और विभागों के साथ सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा बैठकें, समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठकें, मंत्रालयों और विभागों द्वारा स्वयं समीक्षा बैठकें आयोजित करना और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान आदि शामिल हैं।

*****